स्वच्छ भारत — एक कदम स्वच्छता की ओर

उप क्षेत्रीय कार्यालय   टोल फ्री : 1800112526

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
"पंचदीप भवन", उर्मि सोसाइटी, अलकापुरी, वड़ोदरा
दूरभाष : 0265-2961442/2324442, ई-मेल : dir-vadodara@esic.nic.in

सत्यमेव जयते

चिंता से मुक्ति
आईपी - वीआईपी

G20 भारत 2023 INDIA

स्वस्थ भारत

3.25%

नियोजक अंशदान अब 4.75% के स्थान पर ~~3.5~~% व
कर्मचारी अंशदान 1.75% से घटकर 0.75% हुआ ।

75 Azadi Ka Amrit Mahotsav

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत देय हितलाभ

क्रम	हितलाभ	हितलाभ व उनकी अंशदायी शर्तें	अवधि तथा हितलाभों की दरें
1	(क) बीमारी हितलाभ	संबंधित अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान अदा किया हो।	लगातार दो हितलाभ अवधियों में 91 दिनों तक औसत दैनिक मजदूरी का 70 प्रतिशत।
	(ख) भर्धित बीमारी हितलाभ	संबंधित अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान अदा किया हो।	पुरुष नसबंदी हेतु बीमाकृत व्यक्ति के लिए 7 दिन तथा महिला नसबंदी के लिए बीमाकृत महिला के लिए 14 दिन चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। भुगतान की हितलाभ दर-औसत दैनिक मजदूरी का 100 प्रतिशत
	(ग) विस्तारित बीमारी हितलाभ	34 निर्दिष्ट दीर्घकालीन बीमारियों के लिए 2 वर्ष की अवधि का लगातार तथा 4 लगातार अंशदान अवधियों में 156 दिन का अंशदान तथा कम से कम १ अवधि में 78 दिन का अंशदान।	124/309 दिनों तक वर्णित दीर्घकालीन रोग होने की स्थिति में जिसे चिकित्सकीय सलाह पर दो वर्ष (730 दिन) तक बढाया जा सकता है। हितलाभ दर-औसत दैनिक मजदूरी का लगभग 80 प्रतिशत
2	नि:शक्ता हितलाभ (क) अस्थायी अपंगता हितलाभ	बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश के पहले दिन से, भले ही अंशदान अदा न भी किया हो।	नि:शक्ता (दुर्घटना के दिन को छोडकर) तीन दिन से कम समय में ठीक हो जाने पर हितलाभ देय नही है। अन्यथा अस्थायी अपंगता समाप्त होने तक की पूर्ण अवधि के लिए देय। हितलाभ दर-औसत दैनिक मजदूरी का लगभग 90 प्रतिशत
	(ख) स्थायी अपंगता हितलाभ	बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश के पहले दिन से, भले ही अंशदान अदा न भी किया हो।	जीवन पर्यंत दर - कामगार की अर्जन क्षमता की चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित अर्जन क्षमता की हानि के समानुपात। औसत दैनिक मजदूरी का लगभग 90 प्रतिशत। एकमुश्त परिवर्तनीय - यदि दैनिक हितलाभ दर रुपये 10/- तक अथवा परिवर्तित राशि रुपये 60,000/- से अधिक नहीं।
3	आश्रित जन हितलाभ	रोजगार चोट के कारण मृत्य होने पर बीमा योग्य नियोजन में प्रवेश की तारीख से, भले ही कोई अंशदान अदा न किया हो।	बीमित की पत्नी को जीवन पर्यंत या पुनर्विवाह तक तथा प्रत्येक वैध या दत्तक पुत्र को 25 वर्ष की आयु तक एवं प्रत्येक वैध या दत्तक अविवाहित पुत्री को विवाहीत होने तक । अशक्त बच्चे को अशक्तता बने रहने तक । अश्रित माता पिता को जीवन पर्यंत । हितलाभ दर-औसत दैनिक मजदूरी का लगभग 90 प्रतिशत जो की निर्धारित अनुपात में विभक्त किया जाएगा । न्यूनतम पेंशन रुपये 1200/- प्रतिमाह
4	आश्रितजन हित लाभ प्राप्त करने पर महिला (पत्नी) की चिकित्सा देखरेख	आश्रितजन हितलाभ प्राप्त करने वाली विधवा महिला को।	वार्षिक आधार पर आश्रित जन हितलाभ प्राप्त करने पर दिवंगत बीमाकृत व्यक्ति की पत्नी को रुपये 120/- के वार्षिक भुगतान पर क.रा.बी. चिकित्सा योजना में प्राथमिक एवं द्वितियक देखरेख (अतिविशिष्टता उपचार को छोडकर)
5	प्रसुति हितलाभ	दो लगातार पूर्ववर्ती अंशदान अवधियों में 70 दिनों के लिए अंशदान की अदायगी	प्रथम दो प्रसवों के लिए 26 सप्ताह, तीसरे जीवित बच्चे और आगे के लिए 12 सप्ताह । गर्भपात के लिए 6 सप्ताह, कमिशनिंग माता के लिए 12 सप्ताह तथा दत्तक माता के लिए 12 सप्ताह हितलाभ दर - औसत दैनिक मजदूरी का 100 प्रतिशत

6	प्रसुति व्यय	जहां क.रा.बी. योजन के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ बीमाकृत महिला अथवा बीमाकृत व्यक्ति की पत्नी के संबंध में प्रसूति व्यय का भुगतान किया जाएगा।	दो प्रसूतियों तक । हितलाभ दर - रुपये 7500/- प्रति प्रसव
7	चिकित्सा हितलाभ	बीमाकृत व्यक्ति तथा उसके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा देखरेख की पूरी सुविधाएं बीमा योग्य नियोजन में प्रवेश की तारीख से ही है ।	बीमारी या अपंगता समाप्त होने तक पूर्ण चिकित्सा देखरेख विशेषज्ञ मामले में खर्च की कोई अधिकतम सीमा नहीं है । सेवानिवृत्त बीमा कृत व्यक्ति जो अधिवर्षिता की आयु पूरी करने से पहले कम से कम 5 वर्ष के लिए बीमा योग्य नियोजन में रहा हो तथा अपंग बीमाकृत व्यक्ति स्वयं तथा अपनी पत्नी के लिए केवल 120/- रुपये वार्षिक अंशदान देने पर चिकित्सा देखरेख का हकदार है ।
8	राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना अंतर्गत बेरोजगारी	प्रत्येक अंशदान अवधि में प्रदत्त/देय 78 दिनों के अंशदान के साथ अंतिम दो वर्षों के लिए बीमा योग्य रोजगार कारखाने / स्थापना के बंद होने, छटनी या 40 पतिशत से अधिक गैर रोजगार चोट के कारण हुई स्थायी नि:शक्तता की अनैच्छिक बेरोजगारी ।	पूर्ण बीमा योग्य रोजगार के दौरान 24 माह की अधिकतम अवधि के लिए दर 0-12 माह के लिए अंतिम औसत दैनिक मजदूरी का 50 प्रतिशत । 13-24 माह केर लिए अंतिम औसत दैनिक मजदूरी का 25 प्रतिशत । कौशल उन्नयन हेतु 1 वर्ष तक का व्यावसायिक प्रशिक्षण ।
9	अंत्येष्टि व्यय	बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश की तारीख से ।	बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि पर हुआ रुपये 15,000/- तक का व्यय
10	नियम ६० के अंतर्गत व्यावसायिक पुनर्वास भत्ता	आयु 45 वर्ष से अधिक न हो तथा रोजगार चोट की वजह से न्यूनतम 40 प्रतिशत नि:शक्तता रखता हो ।	व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र / संस्थान के प्रतिमानों के अनुरुप सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में किसी भी क्षेत्र में प्रशिक्षण । सामान्य दरों पर वाहन खर्च केंद्र द्वारा प्रमाणित व्यय या रुपये 123/- प्रतिदिन, जो भी अधिक हो ।
11	नि:शक्त व्यक्तियों के नियोजन के लिए नियोक्ताओं की प्रोत्साहन योजना	निजी क्षेत्र में कार्यरत विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए मजदूरी की वेतन सीमा रुपये 25,000/- तक । नियोक्ता अंशदान का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।	
12	बीमित के आश्रितों को ईएसआइ मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की सुविधा	कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार	

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना दिनांक 01-07-2018 से लागू

नियोजक अपने संस्थान का पंजीकरण करने हेतु www.esic.gov.in देखें

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, गुजरात क्षेत्र पर एक नजर 31-03-2022

1. योजना में शामिल नियोजक :	71,987	6. औषधालय :	103
2. योजना में कर्मचारियों की संख्या :	14,00,380	7. चिकित्सालय :	11
3. योजना में बीमितों की संख्या :	17,41,994	8. शाखा कार्यालय :	33
4. योजना में लाभार्थियों की संख्या :	69,25,179	9. औषधालय सह शाखा कार्यालय :	03
5. व्याप्त केन्द्रों की संख्या :	19 जिलों में	10. एम.आई.एम.पी. :	02
(18 जिलों में आंशिक रुप से एवं 01 जिले में पूर्ण रुप से)		11. अति विशेषज्ञ उपचार हेतु अनुबंधित अस्पताल :	57